LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Tuesday, August 19, 2025 / Sravana 28, 1947 (Saka)

HON’BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Tuesday, August 19, 2025 / Sravana 28, 1947 (Saka)

CONTENTS	PAGES
ANNOUNCEMENT RE: AVAILABILITY OF INTERPRETATION FACILITY IN THE HOUSE IN ALL LANGUAGES MENTIONED IN THE CONSTITUTION	1
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 361 – 363)	1A – 30
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 364 – 380)	31 – 50
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 4141 – 4370)	51 – 280

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Tuesday, August 19, 2025 / Sravana 28, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Tuesday, August 19, 2025 / Sravana 28, 1947 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION **281**

PAPERS LAID ON THE TABLE **281 & 303**

MESSAGES FROM RAJYA SABHA **282**

COMMITTEE ON PETITIONS **283**
2nd and 3rd Reports

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE **283**
2nd Report

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION **283 - 84**
1st to 4th Reports

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT **284**
2nd Report

STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY **284**
16th to 20th Reports

STANDING COMMITTEE ON FINANCE **285**
26th Report

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ **285**
20th and 21st Reports

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 3RD AND 10TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING – LAID 285 - 86

Shri George Kurian

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF OBSERVATIONS / RECOMMENDATIONS IN 1ST REPORT OF STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS – LAID 286

Shri Tokhan Sahu

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ 286

Statement

ELECTION TO COMMITTEE 287

Central Advisory Committee for National Cadet Corps

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID 288 - 302

Shrimati Bharti Pardhi 288

Shri Dilip Saikia 288

Shri Arun Kumar Sagar 289

Dr. Manna Lal Rawat 289

Shri Vishnu Dayal Ram 290

Shrimati D. K. Aruna 290

Shri P. P. Chaudhary 291

Shri Brijmohan Agrawal 291

Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo 292

Shri Anurag Singh Thakur 292

Shri Bhartruhari Mahtab 293

Shri Damodar Agrawal 293

Shri Rudra Narayan Pany	**294**
Shri Kodikunnil Suresh	**294**
Shri Ujjwal Raman Singh	**295**
Shri Chamala Kiran Kumar Reddy	**295**
Shri Sukhjinder Singh Randhawa	**296**
Sushri S. Jothimani	**296**
Shri Devesh Shakya	**297**
Shri Rajeev Rai	**297**
Shri Jagadish Chandra Barma Basunia	**298**
Shri Tamilselvan Thanga	**298**
Shri Bastipati Nagaraju	**299**
Shri Ravindra Dattaram Waikar	**299**
Shrimati Shambhavi	**300**
Dr. M. P. Abdussamad Samadani	**300**
Shri Chandan Chauhan	**301**
Shri Chandra Prakash Choudhary	**301**
Adv. Chandra Shekhar	**302**

SPECIAL DISCUSSION RE: INDIA'S FIRST ASTRONAUT ABOARD THE INTERNATIONAL SPACE STATION – CRITICAL ROLE OF SPACE PROGRAMME FOR 'VIKSIT BHARAT BY 2047' **304 - 06**

(Contd. --- Inconclusive)

Dr. Nishikant Dubey **304 - 06**

(Speech unfinished)

INDIAN INSTITUTES OF MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL **307 - 10**

Motion for Consideration **307**

Shri Dharmendra Pradhan **307 - 08**

Motion for Consideration – Adopted **309**

Consideration of Clauses **309**

Motion to Pass **310**

xxxx

(1100/KDS/SNT)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

सदन में संविधान में उल्लिखित सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में घोषणा

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हम सदन में संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अभी तक सदन में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 18 भाषाओं अर्थात् असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाओं में सुविधा प्रदान की जा रही थी। अब इसमें कश्मीरी, कोंकणी व संथाली भाषाओं को भी शामिल कर लिए जाने से हम संविधान में उल्लिखित सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं।

माननीय सदस्यगण, भारत की संसद ही है, जिसमें 22 भाषाओं के लिए साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध है। इतनी भाषाओं में यह सुविधा किसी भी अन्य देश की संसद में नहीं है। हमें भारत, भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र पर गर्व करना चाहिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अत: मेरा आग्रह है कि आप सदन चलाने में सहयोग करें। हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतकंत्र है। मुझे आशा है कि आप सदन चलाने में सहयोग करेंगे।

… (व्यवधान)

1102 बजे

(इस समय सुश्री महुआ मोइत्रा, श्री मणिक्कम टैगोर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

(प्रश्न 361)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 361, डॉक्टर संजय जायसवाल जी।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न राजभाषा से संबंधित है और आपने सभी 22 भाषाओं में अनुवाद हेतु लोक सभा में आज से ही परमिशन दी, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। … (व्यवधान) एक बिहारी होने के नाते, आपको, माननीय प्रधान मंत्री जी व माननीय गृह मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अब मैथिली भाषा में भी संविधान उपलब्ध है। … (व्यवधान) मैथिली भाषा लिखने-पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का संविधान मैथिली भाषा में भी पढ़ सकता है। उसके लिए मैं आपको और माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। … (व्यवधान)

महोदय, मेरा एक सुझाव भी है। भारत में बहुत सारी ऐसी भाषाएं व बोलियां हैं, जो बहुत सारी जगहों में प्रचलित हैं। भोजपुरी की बोली दुनिया के लगभग 30 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। … (व्यवधान) अत: मेरा माननीय मंत्री जी को यह सुझाव है कि जब आप सीडैक से और स्वयं इस संसद में 22 भाषाओं में परिवर्तित करके सभी कार्य कर सकते हैं, तो पत्राचार की भाषा भी हमारी 8वीं अनुसूची के हिसाब से हो सकती है।… (व्यवधान) मेरा यह सुझाव है कि सरकारी कार्यालयों में भाषा परिवर्तन का कार्य भोजपुरी में भी किया जाए, जिससे भोजपुरी बोलने वाली 30 करोड़ जनसंख्या इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।

(1105/CS/VPN)

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, माननीय सदस्य डॉ संजय जायसवाल जी ने अपने प्रश्न के माध्यम से भोजपुरी भाषा के महत्व को बताया है और इन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं।… (व्यवधान) मैं माननीय सदस्य महोदय और सदन को यह जरूर बताना चाहूँगा कि संविधान की अष्टम अनुसूची में जो भी 22 भाषाएँ हैं, इनके संवर्धन, संरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए माननीय मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध, संकल्पित है।… (व्यवधान) अगर कोई लोक भाषा भी है, जिसने स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक रूप में और बोलचाल की भाषा के रूप में पहचान बना ली है तो उसके महत्व को भी हम महत्वपूर्ण मानते हैं।… (व्यवधान) माननीय सदस्य का जो सुझाव है, इस विषय पर हम संजय जी के साथ बैठकर एक बार जरूर चर्चा करेंगे।… (व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।… (व्यवधान)

महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है।… (व्यवधान) आज एक तरफ इतना बड़ा दिन है, जिसमें हमारे विरोधी दलों के,… (व्यवधान) इन सभी लोगों की भाषाओं में अनुवाद हो रहा है।… (व्यवधान) अगर वे लोग चाहें तो अपनी भाषा में सवाल कर सकते हैं और जवाब सुन सकते हैं।… (व्यवधान) मुझे लगता है कि इन लोगों को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है।… (व्यवधान) इटैलियन भाषा जोड़ी जाए तभी ये लोग तैयार होंगे।… (व्यवधान)

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि विगत वर्षों में केन्द्र सरकार के द्वारा राजभाषा सहित विभिन्न भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या-क्या कदम उठाये गए हैं और सरकार की क्या-क्या

उपलब्धियाँ हैं?... (व्यवधान) क्या इसके बारे में मंत्री जी विस्तार से सदन को बताएँगे? ... (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, केन्द्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में राजभाषा सहित अन्य सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए काफी महत्वपूर्ण कई कदम उठाए हैं।... (व्यवधान) जैसे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन भी हो रहा है।... (व्यवधान) भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की गई है।... (व्यवधान) हिन्दी शब्द सिंधु डिजिटल शब्दकोश तैयार किया गया है।... (व्यवधान) यह अति महत्वपूर्ण है।... (व्यवधान) इसका बहुत लाभ मिल रहा है।... (व्यवधान) इसमें हिन्दी के मानकीकरण और भाषा तकनीक के विकास हेतु ऑनलाइन हिन्दी शब्दकोश है, जिसमें सात लाख से अधिक शब्द शामिल हैं।... (व्यवधान)

महोदय, 'कंठस्थ' अनुवाद प्रणाली तैयार की गई है।... (व्यवधान) 'कंठस्थ-2' एक स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली है, जिसमें 5 करोड़ से अधिक वाक्य शामिल हैं।... (व्यवधान) यह प्रतिदिन 15 से 20 हजार नोटिंग्स का अनुवाद करती है।... (व्यवधान) लीला हिन्दी प्रवाह एक मोबाइल एप्लिकेशन बनाया गया है।... (व्यवधान) यह 14 भारतीय भाषाओं के उपयोगकर्ताओं को हिन्दी सिखाने का सहज और निशुल्क माध्यम है।... (व्यवधान)

महोदय, ई-सरल हिन्दी वाक्य कोश बनाया गया है।... (व्यवधान) जिसमें अब तक 6 लाख शब्द एवं 14 हजार से अधिक वाक्य शामिल किए जा चुके हैं।... (व्यवधान) राजभाषा हिन्दी को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण तकनीकी टूल विकसित किए गए हैं।... (व्यवधान) केन्द्रीय समितियों का गठन हुआ है।... (व्यवधान) 537 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है।... (व्यवधान) अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी हिन्दी को पहचान मिली है।... (व्यवधान) हिन्दी अब विश्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।... (व्यवधान) फिजी की सह राजभाषा एवं अबू धाबी में न्यायलयों की तीसरी आधिकारिक भाषा हिन्दी बनी है।... (व्यवधान)

महोदय, राजभाषा के साथ-साथ जितनी भी भारतीय भाषाएँ हैं, उनको महत्व दिया जा रहा है।... (व्यवधान) माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमारी योग्यता, हमारी मेधा, हमारी मातृभाषा में ज्यादा परिलक्षित होती है।... (व्यवधान) इसलिए हमारी जितनी भी भाषाएँ हैं, उनको संरक्षित और संरक्षण देने का काम हम विभिन्न पहलुओं पर करते हैं।... (व्यवधान) अभी भारतीय भाषाओं के लिए भारतीय भाषा अनुभाग बना है।... (व्यवधान) विभिन्न राज्यों में जो भाषा वहाँ की आधिकारिक भाषा में प्रथम स्थान पर है, उस भाषा में अब हम लोग पत्राचार भी करते हैं।... (व्यवधान)

(इति)

(1110/MNS/AK)

(प्रश्न 362)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 362, श्री जी. सेल्वम।

… (व्यवधान)

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, thank you for giving me an opportunity to ask an important question. … (*Interruptions*)

PM Awaas Yojana – Gramin is a huge success. … (*Interruptions*) It has given three benefits. … (*Interruptions*) The first is to provide houses for the poor. … (*Interruptions*) The second is to provide work for the rural population. … (*Interruptions*) The third is to revive and boost the rural economy. … (*Interruptions*)

The Minister has given a very elaborate answer to this Question. … (*Interruptions*) So, I want to ask this from the Minister very specifically. … (*Interruptions*) How many houses have been sanctioned in Tamil Nadu? … (*Interruptions*) What is the budget allocated for this Scheme in Tamil Nadu? … (*Interruptions*) Has any new survey been done in Tamil Nadu to identify the new houses? … (*Interruptions*) Thank you, Sir. … (*Interruptions*)

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तमिलनाडु की गरीब जनता के बारे में सवाल पूछा है।… (व्यवधान) मुझे कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने तमिलनाडु में भी गरीबों के मकान बनाने के लिए लक्ष्य आवंटित किया है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्याय की पराकाष्ठा है कि एक साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने 'पीएम आवास' के 2 लाख 15 हजार मकान स्वीकृत ही नहीं किए हैं। … (व्यवधान) हम गरीबों के मकान बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु की सरकार मकान स्वीकृत ही नहीं कर रही है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गरीबों के साथ अन्याय है, धोखा है, पाप है। इतना ही नहीं वहां 3 लाख 10 हजार मकान पूरे ही नहीं हुए, जबकि उनको पैसा दिया जा चुका है, लेकिन सरकार मकान पूरे नहीं कर रही है। … (व्यवधान) तमिलनाडु सरकार के खाते में 608 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं। केंद्र सरकार का अंश 608 करोड़ रुपये तमिलनाडु सरकार के खाते में पड़े हुए हैं, लेकिन वे गरीबों के मकान नहीं बना रहे हैं, मकानों को स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हम वर्ष 2018 के आवास प्लस की सूची के 50,815 मकानों का लक्ष्य तमिलनाडु को नहीं दे पा रहे हैं। आखिर इनको तकलीफ क्या है? गरीबों के मकान बनेंगे, तो इनको तकलीफ क्या है? मोदी जी का नाम होगा, इसलिए मकान नहीं बनने दे रहे हैं। … (व्यवधान) पराकाष्ठा तो यह है कि पूरे देश में ऐसे गरीब जिनके पास कच्चे घर हैं, उनको नया मकान बनाने के लिए वर्ष 2024 में सर्वे किया गया था, लेकिन इस साल तमिलनाडु की सरकार ने सर्वे ही नहीं किया। यह गरीबों के साथ अन्याय है, धोखा है, पाप है। … (व्यवधान) मैं तमिलनाडु सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि वह गरीबों के मकान को स्वीकृत करें, गरीबों के मकान बनाने के लिए सर्वे करें, ताकि हम गरीबों के मकान बना सकें। मैं तमिलनाडु की सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि गरीबों के साथ अन्याय न करें। … (व्यवधान) (इति)

(प्रश्न 363)

श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में कृषि शिक्षा में 77 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, आईसीएआर के द्वारा 113 इंस्टीट्यूशंस, 425 शासकीय महाविद्यालय और 300 के लगभग प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेजेज चल रहे हैं। … (व्यवधान) लगभग डेढ़ लाख विद्यार्थी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हैं और लगभग दो लाख के करीब विद्यार्थी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में हैं, लेकिन देश में एग्रीकल्चर एजुकेशन का कोई भी ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, जो इनकी मॉनिटरिंग कर सकें, इनके एक्रेडिटेशन के लिए काम कर सके।… (व्यवधान)

(1115/RV/SRG)

इसके कारण देश में कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं।… (व्यवधान) गुणात्मकता के लिए कृषि शिक्षा, नवाचार, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और स्थानीय प्रासंगिकता से परिपूर्ण हो, जिससे एकदम अभी यह शिक्षा परे है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस दिशा में कोई इस प्रकार का संस्थान, जो इनकी मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए सरकार खड़ा कर सके, क्या उसके बारे में सरकार विचार कर रही है?… (व्यवधान) जैसे मेडिकल के लिए आई.सी.एम.आर. है, इसी प्रकार से देश में नेशनल एग्रीकल्चर काउंसिल जैसी संस्था इसकी मॉनिटरिंग के लिए खड़ी होगी, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।… (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष तौर से कृषि के क्षेत्र से संबंधित इस देश के अन्नदाताओं के लिए और उनकी भलाई के लिए एक ज्वलंत प्रश्न पूछा है।… (व्यवधान) मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये विपक्ष वाले सांसद, जो किसानों के वोटों से जीत कर आ रहे हैं, वे आज किसानों के हित की बात सुनना नहीं चाह रहे हैं।… (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वर्तमान में, कृषि और संबद्ध विज्ञान विषयों में उच्च शिक्षा के विनियमन और संवर्धन के लिए कोई स्वतंत्र वैधानिक निकाय अथवा समर्पित एजेंसी की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।… (व्यवधान) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) - 2020 में सामान्य शिक्षा परिषद और सेक्टोरल समिति का प्रावधान है।… (व्यवधान) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि शिक्षा के लिए एक 'प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी (पीएसएसबी)' के रूप में कार्य करेगा।… (व्यवधान) पी.एस.एस.बी., जी.ई.सी. के सदस्य के रूप में शैक्षणिक मानकों को निर्धारित करने और अपने डोमेन/विषयों के शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करती है।… (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ कृषि शिक्षा की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड (एनएईएबी) के द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और कार्यक्रमों को प्रत्यायन प्रदान करने के लिए कार्य कर रही है।… (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड के चार उद्देश्य हैं - प्रत्यायन प्रक्रिया के अंतर्गत संस्थानों के निर्धारित न्यूनतम मानकों एवं मानदंडों की पहचान करना, मौजूदा कृषि एवं संबंधित विषयों के संस्थानों को शैक्षणिक कार्यक्रमों के सुधान हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना, नए संस्थानों एवं कार्यक्रमों के विकास के लिए प्रोत्साहित करना, जो कृषि शिक्षा और अनुसंधान में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हों।... (व्यवधान)

प्रत्यायन के मापदंड में संस्थान का दृष्टिकोण मिशन और उद्देश्य, शासन एवं प्रशासन, और शिक्षण-प्रशिक्षण की गुणवत्ता है।... (व्यवधान) इसके अलावा, शोध एवं नवाचार, शिक्षकों की योग्यता व क्षमता, छात्र विकास व समर्थन सेवाएं, भौतिक संसाधन व आधारभूत संरचना, वित्तीय संसाधन व प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन व सतत सुधार इत्यादि किए जा रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से दूसरा पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने आह्वान किया है कि लैब में तैयार की गयी तकनीकों को किसानों तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहिए, जिसका वे भरपूर लाभ ले सकें।... (व्यवधान) इस दिशा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विकसित कृषि संकल्प अभियान द्वारा 29 मई से 12 जून, 2025 तक चलाया गया।... (व्यवधान) क्या विकसित कृषि संकल्प अभियान आगे भी चलेगा?... (व्यवधान) इस अभियान को जारी रखने के लिए भविष्य की क्या योजना है?... (व्यवधान) मंत्री जी से अनुरोध है कि विस्तृत जानकारी सदन के साथ साझा करें।... (व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विष्णु दत्त शर्मा जी शिक्षा के क्षेत्र में कई वर्षों तक काम कर चुके हैं।... (व्यवधान) माननीय राज्य मंत्री जी ने उनके पहले पूरक प्रश्न का उत्तर भी दिया है।... (व्यवधान) वे एग्रीकल्चर की कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य भी हैं, इस पर भी विचार करके हम एग्रीकल्चरल एजुकेशन को भी कैसे बेहतर कर पाएं, उसके लिए भी प्रयत्न करेंगे।... (व्यवधान) उन्होंने जो दूसरा सवाल पूछा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है।... (व्यवधान)

(1120/MLC/SM)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मोदी सरकार है, जिसने शोध और अनुसंधान जो लैब में होता है, उसको लैंड तक पहुँचाने का फैसला किया है।...(व्यवधान) यह पहली बार हुआ है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत देश के वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक लैब से निकल कर लैंड तक गए हैं और एक करोड़ तैतीस लाख किसानों से सीधा संवाद किया है।...(व्यवधान)

(pp. 7-30)

साठ हजार से ज्यादा कार्यक्रम हुए हैं। उन कार्यक्रमों में नए बीज, नई कृषि पद्धतियाँ, मैकेनाइजेशन के नए सिस्टम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप वहाँ कौन-सी फसल ठीक होगी, उसके बारे में अनुसंधान किया है। …(व्यवधान) मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं, उसके हिसाब से कौन-सी फसल, फसल की कौन-सी किस्म वहां पैदा होगी, उसके बारे में एजुकेट करने का प्रयत्न किया।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बड़े सुपरिणाम सामने आए हैं। …(व्यवधान) हमें लगभग पांच सौ ऐसे विषय मिले हैं, जिन पर आज शोध की जरूरत है। मोदी सरकार ने यह तय किया है कि अब वैज्ञानिक लैब्स में शोध अपने मन से नहीं करेंगे बल्कि किसानों की जो समस्याएं हैं, उसके आधार पर शोध किया जाएगा, उसके आधार पर रिसर्च किया जाएगा। …(व्यवधान) हमने ऐसे शोध के पांच सौ विषय तय किए हैं। तीन सौ नवाचार किसानों ने भी किए हैं।…(व्यवधान) उन नवाचारों को भी वैज्ञानिक स्वरूप देकर हम किसानों तक पहुँचायेंगे। …(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय सदन और सारे किसानों को सूचित करना चाहता हूँ कि तीन अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक फिर विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रारंभ होगा। …(व्यवधान) हमारे हजारों वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कर्मचारी, अधिकारी, हमारे प्रगतिशील किसान और खुद कृषि मंत्रीगण फिर किसानों के बीच जाएंगे, ताकि रबी की फसल में हम लोग बेहतर तकनीक अपना सकें और देश के अन्न के भण्डार भर सकें। …(व्यवधान) अब यह सरकार कृषि भवन से नहीं चलेगी। …(व्यवधान) यह सरकार खेतों से चलेगी, खलिहानों से चलेगी और किसानों के साथ बात करके चलेगी। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही बारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1123 बजे

<u>तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।</u>

(1200/GM/GG)

1200 बजे

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कई माननीय सदस्यों के द्वारा कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

1201 hours

(At this stage, Shri B. Manickam Tagore, Shri Anand Bhadauria, Shri Prasun Banerjee and some other hon. Members came and stood near the Table)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री कृष्ण पाल जी।

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 116 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.3003(अ), जो दिनांक 4 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, उसमें उल्लिखित, कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2025 की धारा 50 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिनांक 11 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.3087(अ) में प्रकाशित "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी परिनियम, 2025, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : सभापति महोदय, मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक कमांडेंट (मैट्रन), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2025, जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.478(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

… (*Interruptions*)

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

1202 hours

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 18^{th} August, 2025 agreed without any amendment to the Indian Ports Bill, 2025 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 12^{th} August, 2025."

(ii) I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Thursday, the 31^{st} July, 2025 adopted the following Motion in regard to the Committee on Welfare of Other backward Classes (OBCs):-

MOTION

"That this House resolves that the Rajya Sabha do join the Committee of both the Houses on Welfare of Other Backward Classes (OBCs) for the term of one year beginning from the date of the first sitting of the Committee, and proceed to elect, in such manner as directed by the Chairman, ten Members from amongst the Members of the House to serve on the said Committee."

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above Motion, the following Members of the Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee:-

1. Shri Masthan Rao Yadav Beedha
2. Shri Rajendra Gehlot
3. Shri Subhasish Khuntia
4. Shri Mayankkumar Nayak
5. Shri K.R.N. Rajeshkumar
6. Dr. Kalpana Saini
7. Shri C. Ve Shanmugam
8. Shri Ashok Singh
9. Dr. Bhim Singh
10. Dr. V. Sivadasan

याचिका समिति
दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन

1203 बजे

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) लक्षद्वीप में पर्यटन के संवर्धन और विकास तथा इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में श्री प्रवीण कुमार से प्राप्त अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के तैंतालीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

(2) सेल पेंशन योजना के संशोधन और इससे संबंधित अन्य मामलों के संबंध में श्री बी.एस. नरसिम्हन से प्राप्त अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के छियालीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

… (व्यवधान)

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS
FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE
2nd Report

SHRI BIPLAB KUMAR DEB (TRIPURA WEST): Sir, I rise to present the Second Report (Hindi and English versions) of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House.

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION
1st to 4th Reports

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): Sir, to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Committee on Subordinate Legislation: -

(1) First Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Twenty-sixth Report (17thLok Sabha) of the Committee on Subordinate Legislation.

(2) Second Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Thirty-second Report (17th Lok Sabha) of the Committee on Subordinate Legislation.

(3) Third Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Thirty-fifth

Report (17th Lok Sabha) of the Committee on Subordinate Legislation.

(4) Fourth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Thirty-sixth Report (17th Lok Sabha) of the Committee on Subordinate Legislation

-----

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

2nd Report

SHRI EATALA RAJENDER (MALKAJGIRI): Sir, I rise to present the Second Report (Hindi and English versions) of the Joint Committee on Offices of Profit (Eighteenth Lok Sabha) regarding eligibility of a sitting MP to be considered for the post of Chairperson, National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR).

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

16वां से 20वां प्रतिवेदन

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, मैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में समिति के आठवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

(2) इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में समिति के नौवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

(3) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में समिति के दसवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन।

(4) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन।

(5) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'डाक विभाग में रियल एस्टेट प्रबंधन' विषय के बारे में बीसवां प्रतिवेदन।

… (व्यवधान)

STANDING COMMITTEE ON FINANCE
26th Report

DR. K. SUDHAKAR (CHIKKBALLAPUR): Sir, I rise to present the Twenty-sixth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Finance on the subject „Roadmap for Indian economic growth in light of global economic and geopolitical circumstances

-----

(1205/YSH/GTJ)

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति
20वां और 21वां प्रतिवेदन

श्री विजय कुमार दूबे (कुशीनगर) : सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :-

(1) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित 'दिशा समितियों का प्रभावी कार्यकरण' के बारे में बीसवां प्रतिवेदन।

(2) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित 'ग्राम ऊर्जा स्वराज: ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना' के बारे में इक्कीसवां प्रतिवेदन।

… (व्यवधान)

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 3RD AND 10TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING – LAID

1205 Hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI GEORGE KURIAN): Sir, with your kind permission, on behalf of my senior colleague Shri Rajiv Ranjan Singh, I rise to lay the following statements regarding: -

(1) the status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on Demands for Grants (2024-2025) pertaining to the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.

(2) the status of implementation of the recommendations contained in the 10th Report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on Demands for Grants (2025-2026) pertaining to the Department 7 of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.

… (*Interruptions*)

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) : सभापति महोदय, मैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-2025) के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : आइटम नम्बर 12 - श्री विजय कुमार दूबे।

… (व्यवधान)

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति
विवरण

1206 बजे

श्री विजय कुमार दूबे (कुशीनगर) : सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के माध्यम से ग्रामीण रोजगार – मजदूरी दर और उससे संबंधित अन्य मामलों संबंधी जानकारी (2023-24)' के बारे में सैंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

… (व्यवधान)

ELECTION TO COMMITTEE

Central Advisory Committee for National Cadet Corps

1207 Hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SANJAY SETH): Hon. Chairperson, Sir, with your kind permission, I rise to move the following:-

"That in pursuance of clause (i) of sub-section (1) and sub-section (1A) of Section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps, subject to the other provisions of the said Act and the Rules made thereunder."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (i) और उप-धारा (1क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन, राष्ट्रीय कैडेट कोर की केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1208 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आज जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है, वे 20 मिनट के भीतर मामले के पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

Re: Need to redevelop various railway stations in Balaghat Parliamentary Constituency under Amrit Bharat Station Scheme

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र – बालाघाट की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास हेतु "अमृत भारत स्टेशन योजना" प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत देशभर के लगभग 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को दीर्घकालिक मास्टर प्लान के आधार पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र के बालाघाट तथा सिवनी स्टेशनों को इस योजना में शामिल किया गया है, जिसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं निवेदन करती हूँ कि मेरे क्षेत्र के अन्य चार प्रमुख स्टेशन – वारासिवनी, कटंगी, लामता तथा तिरोड़ी – को भी इस योजना में शामिल किया जाए। ये चारों स्टेशन न केवल तहसील मुख्यालय हैं, बल्कि इनके माध्यम से सैकड़ों गांवों की लाखों की जनसंख्या आवागमन करती है। इन स्टेशनों के उन्नयन से यात्रियों को बेहतर मूलभूत सुविधाएँ मिलेंगी तथा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को भी बल मिलेगा।

(इति)

Re: Need to deport Bangladeshi infiltrators from Assam

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : असम में बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ का मुद्दा राज्य की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है और यह असम के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इससे यहाँ की जनसांख्यिकी में भी भारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 1951-2011 की अवधि में असम राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 288.21% रही, जबकि पूरे भारत में यह 235.15% थी। यह उच्च वृद्धि दर असम राज्य में बड़े पैमाने पर प्रवासन का संकेत देती है। इनके यहाँ बसने से राज्य में वन भूमि का प्रतिशत 1951-52 के 39% से घटकर अब लगभग केवल 30% रह गया है। असम समेत पूर्वोत्तर भारत में अवैध घुसपैठ को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कोई समझौता नहीं होने के कारण, बांग्लादेश द्वारा अपने इन अवैध घुसपैठियों को वापिस नहीं लिया जाता है। अधिकांश बांग्लादेशी प्रवासियों ने अवैध रूप से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया है वोट बैंक की प्रतिस्पर्धी राजनीति और पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा इन घुसपैठियों को दिया गया संरक्षण आज इस क्षेत्र के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित हो रहा है। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि बांग्लादेश के साथ इस अवैध घुसपैठ को लेकर एक समझौता किया जाए और अवैध घुसपैठियों को वापिस भेजा जाए।

(इति)

Re: Need to review the proposal to close down Railway Mail Service in Shahjahanpur Parliamentary Constituency

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर) : मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि संचार मंत्रालय के डाक विभाग के पार्सल निर्देशालय के डिप्टी जनरल मैनेजर के एफ० नं० 39-04/2025-पीडी, दिनांक 14.07.2025 के माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहाँपुर (उ.प्र.) में रेलवे मेल सेवा (RMS) को बंद करने का प्रस्ताव है।

मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि शाहजहाँपुर एक महत्वपूर्ण और घनी आबादी वाला शहर है, जहाँ के निवासी डाक सेवाओं पर बहुत अधिक निर्भर हैं। यहाँ के ग्रामीण, कस्बाई, और शहरी क्षेत्रों के लोग पत्र, रजिस्टर्ड डाक, और पार्सल भेजने व प्राप्त करने के लिए RMS पर भरोसा करते हैं। रजिस्टर्ड डाक जैसी सेवाएँ महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामान भेजने का एक विश्वसनीय माध्यम हैं।

मैं यह भी संज्ञान में लाना चाहूंगा कि शाहजहांपुर स्थित रेल डाक व्यवस्था न केवल शाहजहांपुर जिले के लिए बल्कि हरदोई जिले के लिए भी एक महत्वपूर्ण डाक छंटाई कार्यालय है. जो दोनों जिलों की दैनिक औसतन स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड पोस्ट प्रतिदिन और 15000 प्रतिदिन साधारण डाक एवं 250 पार्सल आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करते है और कार्य दिवस में रोजाना औसतन 500 आर्टिकल एवं साप्ताहिक अवकाश और राजपत्रित अवकाश में पूरे जिले में केवल आर०एम०एस० ही रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट बुकिंग की सुविश्धा प्रदान करता चला आ रहा है।

ऐसी स्थिति में शाहजहांपुर में RMS के बंद होने से डाक सेवाओं में विलंब होगा. जिससे न केवल आम जनता को असुविधा होगी, बल्कि स्थानीय दुकानदारों, छोटे व्यापारियों, और ई-कॉमर्स पर निर्भर उपभोक्ताओं को भी नुकसान उठाना पड़ेगा।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए शाहजहाँपुर में RMS को पूर्ववत् संचालित रखने के निर्देश प्रदान करें। शाहजहाँपुर (उ०प्र०) में RMS को यथावत् सचालित रखने हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें। (इति)

Re: Need to expand the operation of National Mineral Exploration Trust and also provide financial assistance to Bharat Earth Movers Limited and Bharat Heavy Electricals Limited

डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) : वर्तमान में भारत में खनन कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के मशीनरी/उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख रूप से भारत में निर्मित BEML (भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड) तथा BHEL (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड) के उत्पाद सम्मिलित हैं, जो अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। साथ ही जानकारी में आया है कि यू.एस.ए. आधारित कैटरपिलर इंक (CAT) जैसी कई विदेशी कंपनियों से खनन मशीनरी आयात की जा रही है। ऐसे समय में जब देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेज़ी से अग्रसर है, यह आवश्यक है कि खनन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी मेक इन इंडिया पहल को प्रोत्साहन दिया जाए एवं स्वदेशी उपकरणों का निर्माण व उपयोग बढ़ाया जाए। यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET), जो खनन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के वित्तीय सहयोग का कार्य करता है, उसके पास आज ₹3500 करोड़ से अधिक की राशि उपलब्ध है, जिसका प्रभावी उपयोग हो सकता है। अतः मेरा आग्रह है कि सरकार NMET के कार्यों के विस्तार पर विचार करे एवं BEML, BHEL जैसी प्रतिष्ठित स्वदेशी कंपनियों को भी सशक्त वित्तीय सहायता प्रदान करे, जिससे उक्त जैसे कई विदेशी उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम होकर, आत्मनिर्भर भारत को समर्थन मिल सके।

(इति)

Re: Need to provide special financial assistance for people affected due to heavy rains in Jharkhand

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : झारखंड राज्य में अत्यधिक वर्षा के चलते पूरा जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के घरों में वर्षा का पानी घुस गया है। मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं लोग बेघर हो गए हैं। सड़कों पर टेंट लगाकर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। साल भर में होने वाली वर्षा दो महीनों में हो गई है। पलामू एवं गढ़वा जैसे जिले जो Rain shadow area में पड़ते हैं जहां अक्सर ही सुखाड़ जैसी स्थिति बनी रहती है, इन जिलों में अत्यधिक वर्षा होने के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया है, गंदी नालियों का पानी भी उनके घरों में घुस गया है, पानी में सांप तैरते नजर आ रहे हैं, अस्पतालों में, स्कूलों में पानी घुस गया है, सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि झारखंड राज्य को इस आपदा से निबटने के लिए विशेष सहायता राशि देने का प्रावधान किया जाय, ताकि अतिवृष्टि से हुई क्षति की भरपाई की जा सके। ध्वस्त मकान के जगह पर PMAY के अंतर्गत अतिरिक्त मकान बनाने का प्रबंध एवं सड़कों का निर्माण किया जा सके।

(इति)

Re: Need for inclusion of Gor-Boli language of Banjara community in the 8th Schedule to the Constitution

SHRIMATI D. K. ARUNA (MAHBUBNAGAR): I would like to bring to your kind notice regarding the dire need to include Gor-Boli language of the Banjara Community, in the 8th Schedule to the Constitution. In this connection, I am to state that the language called Gor-Boli, also known as Lambadi or Banjari, is spoken by the Banjara people across India. It's estimated that there are between 1 and 2 million speakers. This language is part of the Indo-Aryan language family. Gor-Boli is the mother tongue of the people of Banjara. Moreover, Banjara, Gore Banjara, Laman, Lambadi, Gore Rajput, Nayak and Gawaria, in our country, are known by various names such as Gore, Gore Rajput, Nayak and Gawar, in the form of folk songs and stories, they are constantly protecting their unique language, attire, culture and traditions, but if there is no immediate action, we will lose this precious language which is used by significant number of population and has a great cultural heritage. The absence of a script should not be an obstacle. Hence, I request the Hon'ble Minister of Home Affairs, to kindly intervene in the matter and do the needful for which we all shall ever be grateful to you, Sir.

(ends)

Re: Need to formulate an integrated water reallocation and transmission framework to ensure supply of water to water-scarce districts of Western Rajasthan

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): I wish to draw the attention of the House to the acute water crisis faced by the arid and drought-prone regions of western Rajasthan, especially districts like Pali, Bikaner, Jodhpur, and Jaisalmer. Following the abeyance of the Indus Water Treaty, India has gained the opportunity to fully utilise the waters of the western rivers. These water resources, if harnessed effectively, can serve not only as a lifeline for the drinking and irrigation needs of drought-affected areas, but also provide long-term water security to regions suffering from chronic scarcity. Under the visionary leadership of the Hon'ble PM, the Eastern Rajasthan Canal Project will make significant strides in ensuring water availability to eastern districts. A similar strategic intervention is urgently needed for western Rajasthan, which continues to face recurring water shortages. I urge the Ministry of Jal Shakti to formulate an integrated water reallocation and transmission framework to utilise the waters of western rivers for national interest and public welfare by prioritising supply to the water-scarce districts of western Rajasthan. This should include long-haul canal systems and regional storage structures. Such a move would be a landmark step in addressing water insecurity in the desert regions of India.

(ends)

Re: Need to make public the study report by NEERI, Nagpur on environmental issues within Raipur, Chhattisgarh

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर) : 131 नॉन अटेन्मेंट सिटीज में से सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही 3 शहर हैं - रायपुर, कोरबा और भिलाई। वैसे तो प्रदूषण के मामले में रायगढ़ और जांजगीर - चाम्पा की स्थिति भी अच्छी नहीं है। रायपुर के बाहरी इलाके में स्थित सिलतरा, उरला और बोरझरा औद्योगिक क्षेत्र प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के रूप में उभरे हैं। भारी उद्योगों के इस संकेन्द्रण ने प्रदूषण का एक व्यापक तूफान खड़ा कर दिया है, जिसका स्थानीय आबादी के स्वास्थ्य और आजीविका पर बुरा असर पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, नागपुर स्थित नीरी को रायपुर के 142 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का व्यापक अध्ययन करने का निर्देश दिया था। उक्त रिपोर्ट की प्रति को सार्वजनिक किया जाए एवं और इस रिपोर्ट की अनुशंसाओं के आधार पर की जाने वाली कार्रवाई के ब्यौरे की प्रति साझा की जाए। केंद्र सरकार पूरे राज्य की एक और ऐसी रिपोर्ट बनवाने की अनुशंसा करे ताकि राज्य को नए सिरों से वर्ष 2025 तक के मानकों का पता लग पाए। माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी उक्त सम्बन्ध में हस्तक्षेप करते हुए कार्यवाही करें, ताकि सभी छत्तीसगढ़ के निवासी स्वच्छ हवा में सांस ले पाएं, साफ़ पानी पी पाए।

(इति)

Re: Need to ensure mandatory attendance of Block Development Officers (BDOs) in District Development Coordination and Monitoring Committee (DISHA) meetings

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): I would like to draw the attention of the Hon'ble Minister for Rural Development to the urgent need for ensuring the mandatory attendance of Block Development Officers (BDOs) in the DISHA (District Development Coordination and Monitoring Committee) meetings. DISHA meetings, chaired by the Hon'ble Members of Parliament, serve as an important forum for reviewing and monitoring the implementation of various centrally sponsored schemes such as MGNREGA, PMAY-G, NRLM, SBM, Jal Jeevan Mission, and others at the district and block levels. BDOs play a critical role in implementing these schemes on the ground and are key to providing updates and resolving local issues. However, it has been observed in several districts of Odisha that BDOs are often absent and nominating representatives without sufficient authority or information. This leads to gaps in monitoring, lack of accountability, and delays in resolving issues raised during the meetings. Therefore, I urge the Ministry to issue clear directions mandating the presence of BDOs in every DISHA meeting and to take appropriate disciplinary action in cases of unjustified absence. This step is essential to ensure effective governance and timely implementation of welfare schemes. (ends)

Re: Need for installation of adequate number of community centric decentralized Automatic Weather Forecasting Stations in hilly regions of the country including Himachal Pradesh

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): In recent weeks, Himachal Pradesh has seen 14 cloudbursts and 3 flash floods, resulting in 78 tragic deaths, widespread landslides and extensive infrastructure damage. Simultaneously, Uttarakhand's Dharali flash flood triggered by cloudburst on August 5th claimed lives and destroyed homes, roads, and livelihoods. These events highlight a worrying rise in extreme weather events. The current IMD forecasting model operates on a 6×6 km grid, which is a significant improvement from previous 12x12km, but still inadequate for the microclimatic variations of our hill regions. In the Himalayas, one ridge can be dry while the next valley faces torrential rain. Without finer-scale forecasts, such as 1 km resolution or station-level systems, early warning and evacuation can remain limited. As Prime Minister emphasised at the International Conference on Disaster Resilient Infrastructure that "resilience must be embedded in our systems, and modern technology, when integrated with local insight, can save lives". On these lines, We must decentralise forecasting, empower district level institutions, install more Automatic Weather Stations, and issue block level and Village level alerts. This Community level dissemination can ensure early warning and timely evacuation. These critical steps can help to protect lives, livelihoods, and infrastructure in fragile Himalayan belt. (ends)

Re: Need to revise Indian Easement Act, 1882 and formulate a legislation for equitable and sustainable use of groundwater in the country

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Groundwater forms the backbone of India's water supply—providing nearly 90% of rural drinking water and 50% of urban needs. However, despite its critical role and community dependence, groundwater is legally treated as private property. This outdated legal view promotes over-extraction and inequity in access. The 2024 CGWB report reveals a rising crisis: national groundwater extraction has increased to 60.47%, with alarming figures in states like Punjab (156.87%), Haryana (135.96%), and Rajasthan (149.86%). This exploitation, largely unmanaged, threatens long-term water security. To address this, I urge the Government to reconceptualise groundwater as a shared community resource. Participatory Groundwater Management (PGWM), as piloted under the Atal Bhujal Yojana, must be expanded nationwide. Current legal frameworks—particularly the Indian Easement Act, 1882—need urgent revision. The Model Groundwater (Sustainable Management) Bill, 2017, and the Draft National Water Framework Bill, 2016, must be adopted to enable equitable and sustainable use. Groundwater governance must shift from top-down, technocratic control to inclusive, community-led action, empowering panchayats. Recharge programmes and managed aquifer initiatives must be scaled up, while demand-side measures like metered electricity use should be prioritized. A central legislative framework is now essential to ensure sustainable groundwater for all.

(ends)

Re: Need to establish CGHS Wellness Centre in Bhilwara, Rajasthan

श्री दामोदर अग्रवाल (भीलवाड़ा) : वर्तमान में भीलवाड़ा और आस पास के क्षेत्रों में केन्द्र सरकार के 30 से ज्यादा विभाग कार्यरत है। ज्ञात हो कि वर्तमान में भीलवाड़ा में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं हेतु न तो कोई सी.जी.एच.एस. वेलनेस सेंटर है और न ही कोई सी.जी.एच.एस. अनुबंधित अस्पताल है जिस कारण लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मजबूरन भीलवाड़ा से 560 किलोमीटर दूर दिल्ली, 415 किलोमीटर दूर अहमदाबाद या फिर 250 किलोमीटर दूर जयपुर जाना पड़ता है। आपातकाल की स्थिति में रोगियों को इतना लम्बा सफर तय करना जानलेवा साबित हो जाता है। आपातकाल के समय गैर अनुबंधित अस्पतालों में इलाज का भारी भरकम खर्चा देने के बाद इन लाभार्थियों को पूरा खर्चा वापस मिलने के बजाए सी.जी.एच.एस. के तय रेट पर ही मिलता है जो कि गैर अनुबंधित अस्पताल द्वारा लिए गए इलाज शुल्क से काफी कम दर पर होता है। इस कारण से इन लाभार्थियों को भारी भरकम आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि भीलवाड़ा में सी.जी.एच.एस. वैलनेस सेंटर खुलवाने तथा प्राइवेट अस्पतालों को सी.जी.एच.एस. द्वारा जल्द से जल्द अनुबंधित करने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to set up a high-level committee to probe the killing of Vedanta Kesari Swami Laxmanananda Saraswati in 2008 and also release a postal stamp in his honour

श्री रुद्र नारायण पाणी (धेन्कानल) : वेदांत केशरी स्वामी लक्ष्मणानंद जी सरस्वती केवल आध्यात्म क्षेत्र के नहीं थे बल्कि सामाजिक सुधार के प्रतीक थे। हिमालय में साधना के बाद ओडिशा के कंधमाल में उन्होंने जनजातियों के लिए जीवन खपा दिया। अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान हेतु भी उन्होंने अनेक कार्य किए। विशेषकर लालच में कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए उन्होंने श्रद्धापूर्वक काम किया। कन्याओं को पाठ पढ़ाने के लिए विशेषकर उनके संस्कृत शिक्षा हेतु आश्रम और विद्यालय की स्थापना की कंधमाल जिले के चकापाद और जलेशपता में आश्रम की स्थापना की। दुर्भाग्य से 17 साल पहले जन्माष्टमी के दिन (अगस्त 23, 2008) आतंकवादी तत्वों द्वारा उनकी बर्बरतापूर्ण तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई। आजतक सार्थक दंड विधान नहीं हो पाया है। अतः सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि संत शिरोमणि वेदांत केशरी स्वामी जी की निर्मम हत्या के कारणों की खोज निकालने हेतु उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाय। उस समय ओडिशा में नक्सलवाद अत्यंत उग्र रूप में विद्यमान था। लालच से गरीब आदिवासी अनुसूचित जाति के लोगों को धर्मांतरण करने वाले तत्व नक्सलियों के साथ मिलकर स्वामी जी की हत्या किए होंगे। इस प्रकार का संदेह आज भी लोगों में बरकरार है। स्वामी जी की त्याग तपस्या व बलिदान को देखते हुए उनके नाम से एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किए जाने हेतु मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ। (इति)

Re: Need to accord special heritage status to Kottarakkara in Kerala, the birthplace of Kathakali dance and establish a National Kathakali Cultural Centre and Museum therein

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Kottarakkara in Kerala is historically recognised as the birthplace of Kathakali, India's renowned classical dance-drama. In the 17th century, Prince Kottarakkara Thampuran created Ramanattam, which later integrated elements from Krishnanattam to evolve into Kathakali. This art form, with its rich storytelling, elaborate costumes, and intricate expressions, is a symbol of Kerala's cultural identity and a treasure of India's intangible heritage. However, Kottarakkara lacks adequate infrastructure to preserve and promote this legacy. There is no dedicated national-level Kathakali cultural centre, museum, or structured tourism programme highlighting its heritage. Local artists face challenges in accessing resources, training facilities, and financial assistance, limiting opportunities for cultural education and performance. I urge the Government to accord special heritage status to Kottarakkara, establish a National Kathakali Cultural Centre and Museum, include the town in cultural tourism circuits, and provide scholarships, pensions, and financial aid to Kathakali artists. These measures will preserve an invaluable tradition, support artists' livelihoods, and position Kottarakkara as a global cultural destination. (ends)

Re: Need to make permanent the services of contractual employees appointed under National Tuberculosis Elimination Programme in Uttar Pradesh

श्री उज्ज्वल रमण सिंह (इलाहाबाद) : मैं सरकार का ध्यान प्रधानमंत्री के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रम राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन की और आकृष्ट करना चाहता हूँ। वर्ष 2025 के अंत तक सरकार भारत को क्षय रोग मुक्त घोषित करने जा रही है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम को सफलता तक पहुंचाने के लिए तन-मन से समर्पित विगत 15-20 वर्षों से संविदा पर कार्यरत हजारों संविदा कर्मियों की समस्याओं और उनके भविष्य के प्रति उनकी आशंकाओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। संविदा कर्मियों का भविष्य अधकारमय नजर आ रहा है। इसके कारण ये मानसिक रूप से पीड़ित एवं व्यथित है, भविष्य के प्रति अनिश्चितता के कारण इनकी कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। क्षय रोग मुक्त भारत की घोषणा के पश्चात भी इनकी सेवाएं निरंतर जारी रहेगी या समाप्त कर दी जायेगी या उनकी सेवाओं में गुणात्मक परिवर्तन किया जायेगा या अन्य किसी स्थान पर समायोजित किया जायेगा। क्या 15-20 वर्षा तक लगातार चलने वाला कार्य अस्थायी प्रकृति का होता है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश में विशेष रूप से उतर प्रदेश में संविदा पर कार्यरत हजारो संविदा कर्मियों की समस्याओं और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें स्थायी नियुक्ति प्रदान करें। (इति)

Re: Need to expedite approval to the Bill providing 42% reservations to Other Backward Classes (OBCs) in Telangana

SHRI CHAMALA KIRAN KUMAR REDDY (BHONGIR): I would like to bring to your kind notice regarding dire need to enhance OBC reservations to 42 per cent in education, employment and local body elections in the State of Telangana. It is a matter of proud that under the able and dynamic leadership of our Hon'ble Chief Minister, the Telangana Legislative Assembly, unanimously passed a Bill to provide 42 per cent reservations to OBCs in the field of education, employment and forthcoming local body elections in the State. This has been done based on a comprehensive survey done through scientific, socio-economic and caste-based census in order to render justice to OBCs in Telangana. In this connection, the Ordinance referred is still pending without any specific reason for over 3 months and is affecting the democratic and constitutional rights of the OBCs whose population is about 50 per cent in Telangana. Immediate approval to this will safeguard the larger interests of the OBCs to ensure their genuine rights without any further delay. Hence, I request the Hon. Minister of Social Justice and Empowerment to kindly intervene in the matter immediately and do the needful to protect the interests of the OBCs in Telangana for which we all shall ever be grateful to you, Sir.

(ends)

Re: Need to construct a permanent bridge on Beas River at Makora Pattan in Gurdaspur Parliamentary Constituency

श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा (गुरदासपुर) : मैं एक गंभीर विषय और अत्यंत महत्वपूर्ण मांग पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। गुरदासपुर के सीमावर्ती क्षेत्र मकोड़ा पत्तन के हज़ारों नागरिक आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी रावी नदी पार करने के लिए आज भी नावों पर निर्भर हैं और वह भी मुश्किल से एक ही नाव चलने की सुविधा उपलब्ध है। बरसात के मौसम में, जब नदी उफान पर होती है, तो यह नाव सेवा भी पूरी तरह बंद हो जाती है और अस्थायी कच्चा पुल हटा दिया जाता है। इसके कारण पूरे क्षेत्र का संपर्क देश के अन्य हिस्सों से पूरी तरह कट जाता है। नतीजतन, स्कूल, अस्पताल और सरकारी व निजी कर्मचारी हफ्तों तक फंसे रहते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में एम्बुलेंस या राहत दल का पहुँचना भी असंभव हो जाता है। यह समस्या केवल आवागमन तक सीमित नहीं है, बल्कि जनसुरक्षा, स्वास्थ्य, विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टि से भी अत्यंत गंभीर है। अतः मैं आग्रह करता हूँ कि इस मामले की गंभीरता और राष्टीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मकोड़ा पत्तन पर स्थायी पुल के निर्माण हेतु शीघ्र केंद्रीय अनुदान स्वीकृत किया जाए, ताकि इस सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों को सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही का अधिकार मिल सके।

(इति)

Re: Need for publication of Keezhadi excavations in Tamil Nadu

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): I wish to draw the attention of the Hon'ble Minister of Culture to the continued neglect of the Keezhadi archaeological site in Tamil Nadu's Sivaganga district. This site has revealed evidence of a highly urbanised Tamil civilisation dating back to the 8th–5th centuries BCE, including Tamil Brahmi inscriptions, industrial activity, and civic planning. These findings place Tamil Nadu within the early Iron Age and Sangam-era continuum. Yet, the excavation has faced repeated disruptions. The Archeologist, who led the discovery, has been transferred multiple times, allegedly under pressure to alter the dating. Reports mention internal efforts to revise the conclusions. The current ASI Director firmly stood by the truth, defending scientific methods like stratigraphy and accelerator mass spectrometry. The Archeologist's integrity deserves recognition and protection. While the Union Government often highlights the Indus Valley, Vedic, and Mauryan periods, there is troubling silence on Tamil Nadu's Sangam age— one of the oldest cultural traditions in India. Keezhadi is not just Tamil pride — it is a national treasure. I urge the Government to publish the full report with its original version, protect scientific autonomy, and ensure that no ideological bias rewrites India's diverse civilisational history, especially Tamil history.

Thank you. (ends)

Re: Need to construct dams in Etah Parliamentary Constituency to prevent annual floods in the region

श्री देवेश शाक्य (एटा) : मेरे संसदीय क्षेत्र एटा–कासगंज (उत्तर प्रदेश) में हर वर्ष आने वाली बाढ़ के विषय में रखा था। परंतु एक वर्ष बाद भी सिंचाई विभाग तथा जलशक्ति विभाग द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं और पूर्व की भांति इस वर्ष भी मेरे क्षेत्र में सैकड़ों गांवों को तबाही का सामना करना पड़ रहा है। मैं पुनः सरकार से मांग करता हूँ कि हन्सीनगला से राजेपुर कुरी एवं रामताल हिम्मतनगर से बझेरा तक पक्का बांध एवं लहरा से बदायूं का पुल बनवाया जाए जिससे सैकड़ों गांवों में हर वर्ष आ रही बाढ़ से लोगों को राहत मिल सके। मेरी मांग है कि हर वर्ष करोड़ों रुपये से कच्चे बांध बनाए जाते हैं। जो पैसा पूरा बर्बाद हो जाता है, इन सब की जगह पक्के बांध बनाकर किसानों को राहत दें।

(इति)

Re: Need to establish educational institutes on the land of closed down Swadeshi Cotton Mill in Mau city, Uttar Pradesh

श्री राजीव राय (घोसी) : मऊ को कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कपड़ा बुनकरों का गढ़ माना जाता था, लेकिन समय के साथ यूपी स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड और स्वदेशी कॉटन मिल की इकाई के बंद होने से शहर की औद्योगिक छवि में भारी बदलाव आया है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के लोगों के लिए बेरोजगारी और अभूतपूर्व कठिनाई पैदा हुई हैं, जिससे युवाओं को देश के अन्य औद्योगिक शहरों में पलायन करना पड़ रहा है और अकुशल मजदूरों के रूप में काम करना पड़ रहा है।

जिले के ताजपुर औद्योगिक क्षेत्र के समुचित विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय परदहा में बंद पड़ी मिल की 85 एकड़ भूमि को विकसित करने का निर्णय चिंता का विषय है. क्योंकि क्षेत्र में औद्योगिक पार्क के परिणामस्वरूप शहर के हृदय स्थल में शहरी नियोजन और पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित नई चुनौतियां पैदा होंगी। अनुरोध है कि स्वदेशी कॉटन मिल की 85 एकड़ भूमि का उपयोग मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय, कौशल प्रशिक्षण संस्थान आदि जैसे शैक्षणिक संस्थानों को विकसित करके अधिक बुद्धिमानी और तर्कसंगत तरीके से किया जाए, जिससे पूरे क्षेत्र के लोगों को कई तरह से लाभ होगा और विशेष रूप से मऊ और आसपास के जिलों के युवाओं को मदद मिलेगी।

(इति)

Re: Need for construction of an ROB at Ghughumari in West Bengal

SHRI JAGADISH CHANDRA BARMA BASUNIA (COOCHBEHAR): I wish to raise the matter pertaining to Ghughumari which is a busy area located next to Cooch Behar town. A road from Ghughumari to Cooch Behar crosses the Torsa River. There is already a road bridge over the river. Just beside it, there is a railway bridge, and railway gates are located on both sides of the road. During train movement, the gates remain closed, causing long traffic jams. This creates major problems for local people, especially during emergencies. Ambulances, school children, and daily commuters get stuck for a long time. Also, the bridge does not have footpaths, which makes it unsafe for pedestrians and children. Due to increasing traffic and daily problems, I request the Central Government, especially the Ministry of Railways and the Ministry of Road Transport and Highways, to consider constructing a new overbridge at this location. This will help reduce traffic congestion and improve public safety.

(ends)

Re: Need to expedite laying of new railway line from Dindigul to Sabarimala via Theni

SHRI TAMILSELVAN THANGA (THENI): Theni Parliamentary constituency of Tamilnadu is located in the western part of Tamil Nadu bordering the State of Kerala and lies at the foot of the Western Ghats. There has been a long pending demand for several years to lay/construct a railway line from Dindigul to Sabarimala via Theni. Recently, the Southern Railway has announced that a tender will be floated for the survey work/ site selection study to lay a broad gauge railway line from Theni to Erumeli and Rs. 2.90 crore has been fixed for the study work to construct a new broad gauge railway line for a distance of 115 km between Theni and Erumeli Further, Rs 46 lakhs was allocated for the Dindigul-Sabarimala broad gauge railway survey work. Earlier, the Railway Board had done the survey for a new broad-gauge line from Dindigul to Sabarimalai and received the report in the year 2014, but it is still pending with the Railway Board but not willing to come forward to lay a new railway line from Dindigul to Sabarimala. Our Tamilnadu Government is ready to extend any possible help to complete the project as early as possible. Hence, I urge upon the Union Govt. to take further necessary action to expedite to lay a new railway line from Dindigul to Sabarimala via Theni for the benefit of crores of crares of pilgrims thronging /visiting across the country to Sabarimalai in Kerala and Palani Temple in Dindigul District in Tamilnadu. If a new railway line is constructed a lot of money and time will be saved through travelling by the pilgrims and more income will be earned by the Railway Department.

(ends)

Re: Need to provide financial assistance under Khelo India Scheme to Andhra Pradesh for strengthening sports infrastructure in the State

SHRI BASTIPATI NAGARAJU (KURNOOL): I wish to draw the attention of the House to the need for strengthening sports infrastructure in Andhra Pradesh. The Sports Authority of India (SAI) Centre in Kurnool has the foundational infrastructure but lacks essential amenities and modern training facilities. A key proposal is the laying of a 400-meter synthetic athletic track with six lanes at Adoni town in Kurnool district. In the year 2021-22 the proposal was submitted and the estimated cost for this proposal is 8 crores. This facility will significantly boost grassroots sports development and provide athletes especially from rural and underserved backgrounds access to high-quality training. It aligns perfectly with the objectives of the Khelo India Programme, which aims to build a strong sports ecosystem at the district level and promote excellence in sports. I therefore urge the Hon'ble Minister of Youth Affairs and Sports to sanction necessary funds under the Khelo India scheme for this project. This initiative will not only promote fitness and sports culture in the region but also pave the way for future international medal winners from Andhra Pradesh.

(ends)

Re: Need for computation of orphaned children in upcoming Census

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : मैं आपके माध्यम से इस सदन और सरकार का ध्यान हमारे देश के अनाथ बच्चों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह बहुत चिंता का विषय है कि आज हमारे पास देश में अनाथ बच्चों की कोई आधिकारिक संख्या ही नहीं है। हम जातिगत जनगणना कर रहे हैं,लेकिन उन बच्चों को नहीं गिन रहे हैं जिनका कोई नहीं है। UNICEF के अनुसार, भारत में लगभग 2.5 करोड़ बच्चे अनाथ हैं,जो बिना किसी सहारे के जी रहे हैं। हाल ही में,माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने सभी राज्यों को उन अनाथ बच्चों का सर्वे करने का निर्देश दिया है, जिन्हें शिक्षा के अधिकार (Right to Education) के तहत उनका हक़ नहीं मिल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आग्रह किया है कि 2027 की अगली जनगणना में अनाथ बच्चों के लिए एक अलग कॉलम होना चाहिए। अतः,मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का सम्मान करते हुए, अगली जनगणना में अनाथ बच्चों की गणना को अनिवार्य रूप से शामिल करे। हमें इन बच्चों की पहचान करनी होगी ताकि उन्हें शिक्षा का अधिकार और एक सुरक्षित भविष्य मिल सके। यह हमारी नैतिक और संवैधानिक ज़िम्मेदारी है।

(इति)

Re: Need to provide stoppage of Garib Rath Express (train no. 12211/12212) at Samastipur Railway Junction, Bihar

श्रीमती शांभवी (समस्तीपुर) : मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान उत्तर बिहार के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। गाड़ी संख्या12211/12212,जो आनंद विहार (दिल्ली) और मुजफ्फरपुर के बीच चलती है, एक लोकप्रिय और किफायती वातानुकूलित गरीब रथ एक्सप्रेस है। यह ट्रेन लाखों लोगों, विशेषकर छात्रों,श्रमिकों और आम नागरिकों के लिए दिल्ली आने-जाने का एक सुगम साधन है। मेरा लोक सभा क्षेत्र समस्तीपुर उत्तर बिहार का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन, एक बड़ा व्यापारिक केंद्र और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।यह ट्रेन समस्तीपुर से होकर गुजरती है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसका यहां कोई ठहराव नहीं है।ठहराव न होने के कारण समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और आसपास के जिलों के हज़ारों यात्रियों को इस ट्रेन को पकड़ने के लिए मुजफ्फरपुर तक की अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है,जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। समस्तीपुर में इस ट्रेन के ठहराव की मांग बहुत वर्षों से की जा रही है और इसलिए माननीय रेल मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और जनहित में तत्काल प्रभाव से गाड़ी संख्या 12211/12212 गरीब रथ एक्सप्रेस का ठहराव समस्तीपुर जंक्शन पर सुनिश्चित करें।इस कदम से न केवल लाखों लोगों को सुविधा होगी,बल्कि रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

(इति)

Re: Need to restore the deleted chapter on Mughal empire and Tipu Sultan in NCERT textbooks

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (PONNANI): I rise to register my deep concern over the distortion of history in NCERT textbooks, particularly the deletion of crucial chapters on the Mughal Empire and Tipu Sultan. Such omissions rob our students of a truthful understanding of our past and weaken the constitutional ideal of composite culture. As Firaq Gorakhpuri so memorably wrote: “Sarzameen-e-Hind par aqwam-e-alam ke ‘Firaq’ / Kafile baste gaye, Hindustan banta gaya.” (“On the land of India, caravans of nations kept settling, and Hindustan kept taking shape.”) Our Constitution’s Preamble enshrines justice, liberty, equality, and fraternity — values nurtured by centuries of cultural intermingling. From Akbar’s Sulh-i-Kul (peace with all) to Tipu Sultan’s alliances across faiths, history offers enduring lessons in unity amid diversity. Erasing these narratives impoverishes young minds. As Will Durant reminds us: “The only real revolution is in the enlightenment of the mind and the improvement of character… the only real revolutionists are philosophers and saints.” True patriotism demands confronting history in full — its glories and its challenges. Let us not permit ideology to overwrite fact. I urge the Government to restore these chapters so that our textbooks reflect India’s rich, plural, and composite heritage in its entirety.

(ends)

Re: Need to combat the negative impact of social media and internet

श्री चंदन चौहान (बिजनौर) : भारत में इंटरनेट कनेक्शन 2014 में 25.5 करोड़ एवं 2024 में 96.96 करोड़ हो गए हैं। 2025 में 75 करोड़ सोशल मीडिया अकाउन्ट है। लगभग 85.5% घरों में एक स्मार्टफोन मौजूद है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग ने भारतीयों के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और ये सर्वेक्षण विशेष रूप से चेतावनी देता है कि फोन आधारित बचपन बच्चों के अनुभव को बदल रहा है। वरिष्ठ नागरिक सोशल मीडिया और डिजिटल साक्षर ना होने के कारण भ्रामक संदेशों और वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। एन.सी.आर.बी. (NCRB) के अनुसार महिलाओं के खिलाफ़ अपराधों में 28% की वृद्धि हुई है। वायरल होने की भीड़ में जघन्य अपराध हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील समय में शत्रु देश भ्रामक जानकारी फैलाकर राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगा रहे थे। अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि सभी आयु समूह, बच्चों, युवाओं, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित करते हुए डिजिटल साक्षरता और मानसिक स्वास्थ्य पर एक व्यापक राष्ट्रीय जागरूक अभियान शुरू करें। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन 2013 को सख्ती से लागू किया जाए। Responsible by Designer के सिद्धांत को बढ़ावा दिया जाए। साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक फ़ास्ट ट्रैक निवारण तंत्र स्थापित हो। यूरोपियन संघ के डिजिटल सर्विस एक्ट की तरह प्लेटफार्म की जवाबदेही तय करने UK के Online Safety Act एवं ऑस्ट्रेलिया के E Safety Commissioner की तरह सशक्त नियामक बनाने की कवायद शुरू की जाए। Freedom of Speech का सम्मान करते हुए AI से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों जैसे डीप फेक, भ्रामक सूचना से निपटने की स्पष्ट नीती को बनाया जाए। (इति)

Re: Abduction of Indian migrants by armed gunmen in Niger

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी (गिरिडीह) : दिनांक 25 अप्रैल 2025 को पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर देश के तिल्लाबेरी क्षेत्र में कामरत झारखंड के गिरिडीह जिले से आए पाँच प्रवासी मजदूर के साथ ही एक स्थानीय श्रमिक को अपहृत कर लिया गया। इस घटना में 12 सुरक्षा कर्मी शहीद भी हुए। ये सभी Kalpataru Projects International Limited परियोजना में कार्यरत थे। तीन महीने बीत चुके हैं, पर परिवारों को उनके अपहृत प्रियजनों की स्थिति पर कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। परिवार भावनात्मक और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। MEA और भारतीय दूतावास से स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराई जाए कि अपहृत मजदूरों की स्थिति क्या है, वे कहाँ हैं और किस प्रकार की रिहाई की कार्रवाई जारी है? यदि कोई जीवित प्रमाण (Proof of Life) प्राप्त हुआ है तो उसका विवरण कृपया साझा करें। अपहृत मजदूरों की रिहाई एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष मिशन, समयबद्ध कार्ययोजना, और राहत पैकेज (जैसे चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक समर्थन, आर्थिक सहायता आदि) तैयार की गई है? उनके परिवारों को सरकार द्वारा क्या सहायता और मुआवजा प्रदान किया जा रहा है, विशेषकर तब जब ये परिवार वित्तीय रूप से बेहद निर्बल हैं।

(इति)

Re: Lack of transparency in recruitment of Professors in IITs and other institutes of national importance

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : IITs के सामान्य और विशेष भर्ती अभियान के तहत होने वाली भर्ती में पारदर्शिता की कमी दिखाई देती है। रिक्रूटमेंट हेतु एप्लिकेशन जमा होने के बाद जिन कैंडिडेट्स को पहले राउंड के इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता उन्हें कभी कारण नहीं बताया जाता कि किस कमी के कारण उनको शॉर्ट लिस्ट नही किया गया और जिनको पहले और अंतिम सिलेक्शन के बाद चुना जाता है उनका कोई डेटा पब्लिक डोमेन में यह संस्थान नहीं रखते हैं। साथ ही एप्लीकेशन जमा होने के लंबे समय तक संस्थान कोई अपडेट नहीं देते और अगर कोई कैंडिडेट किसी राउंड के इंटरव्यू में सलेक्ट होता है तो भी उसका अगर फाइनल सलेक्शन नही हुआ तो कोई अपडेट नही दिया जाता है। मेरा सवाल है कि किस अधिकार के तहत यह संस्थान प्रोफेसर्स भर्ती प्रक्रिया के अंतिम निर्णय का डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं देते? इसका समाधान निकाला जाए।

(इति)

… (<u>व्यवधान</u>)

HON. CHAIRPERSON: I request all of you to kindly take your seats. We will take the discussion further.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please occupy your chairs. Kindly be seated.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I will listen to you. I want to listen to you but not like this.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats and then present it.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I will give you option to speak. But it is not possible to listen to all of you like this.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please cooperate.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1209 बजे

<u>तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।</u>

(1400/STS/RCP)
1400 बजे

लोक सभा चौदह बजे पुनः समवेत् हुई।
(श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी पीठासीन हुए)
... (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र - जारी

1400 बजे
माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।
श्री पंकज चौधरी जी।

1401 बजे
(इस समय श्री राहुल कस्वां, सुश्री प्रणिति सुशीलकुमार शिंदे, सुश्री सयानी घोष और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)
... (व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदय, अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से, मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 35/2025-सीमा-शुल्क, जो दिनांक 18 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 5201 के अंतर्गत वर्गीकृत कपास को 19 अगस्त, 2025 से 30 सितम्बर, 2025 तक 11 प्रतिशत के आयात शुल्क से छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 17, डॉ. निशिकान्त दुबे जी।
... (व्यवधान)

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री –‘2047 तक विकसित भारत’ के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर आगे विशेष चर्चा – जारी

1402 बजे

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, मुझे यह लग रहा है कि शुभांशु शुक्ला, वे कोई भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं। वे देश के व्यक्ति हैं। … (व्यवधान) उन्होंने 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट किया और भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। मुझे लगा था कि पूरा विपक्ष कंधे-से-कंधा मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट करेगा, उनकी प्रशंसा करेगा और दुनिया को बतायेगा कि जहां तक सुरक्षा का सवाल है, स्पेस का सवाल है, विकास का सवाल है, विकसित भारत बनाने का सवाल है, उसमें पूरा देश एक है। लेकिन विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं? … (व्यवधान) इन्होंने पूरे पार्लियामेंट को बंधक बना लिया है। मैं कल से सोच रहा था कि आखिर क्या कारण है कि स्पेस जैसे विषय पर भी कांग्रेस बात नहीं करने देना चाहती है, हमारी आवाज को दबाना चाहती है। … (व्यवधान) मैंने जब इस बात पर विचार किया तो मैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पर पहुंचा। आपको ध्यान होगा और सुरेश गोपी जी भी यहां बैठे हैं। … (व्यवधान) केरल में नंबी नारायणन इसरो के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और वर्ष 1994 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने सीबीआई और स्टेट पुलिस के माध्यम से उनको अरेस्ट कर लिया। … (व्यवधान) मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की केवल कुछ प्रतियां पढ़ना चाहता हूं कि कांग्रेस ने किस तरह से वैज्ञानिकों को चीन, अमेरिका और ‘सोरोस’ के साथ मिल कर किस तरह से इसरो को बर्बाद किया और किस तरह से स्पेस मिशन को बर्बाद किया, उसका यह उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट कहता है –

> “If the obtaining factual matrix is adjudged on the aforesaid principles and parameters, there can be no scintilla of doubt that the appellant, a successful scientist having national reputation, has been compelled to undergo immense humiliation. The lackadaisical attitude of the State police to arrest anyone and put him in police custody has made the appellant to suffer the ignominy.”

इससे बड़ी बात क्या कही जा सकती है? … (व्यवधान) एक साइंटिस्ट को आपने पाकिस्तान और चीन के कहने पर अरेस्ट कर लिया। इसीलिए आप लोग स्पेस पर डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। … (व्यवधान) इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है वह और भी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट कहता है –

> “In the instant case, keeping in view the report of the CBI and the judgment rendered by this Court in K. Chandrasekhar, suitable compensation has to be awarded, without any trace of doubt, to

compensate the suffering, anxiety and the treatment by which the quintessence of life and liberty under Article 21 of the Constitution withers away."

इसीलिए आप यह काम कर रहे हैं। मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं कि ये लोग स्पेस और नेशनल सिक्योरिटी जैसे विषय पर डिस्कशन क्यों नहीं चाहते हैं? मैं सीएजी की रिपोर्ट लेकर आया हूं। … (व्यवधान)

(1405/MM/HDK)

मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2012 की यह रिपोर्ट है, जब उनकी सरकार थी और सीएजी उन्होंने बनायी थी।… (व्यवधान) वह कहता है कि इसी स्पेस मिशन पर एंट्रिक्स-देवास ने एग्रीमेंट किया था और दो लाख करोड़ रुपये, एक-दो पैसे नहीं, पूरे दो लाख करोड़ रुपये का चूना उन्होंने भारत सरकार को लगाया … (व्यवधान) ऐसी सोव्रन गारंटी दे दी कि जिसकी वजह से आज भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर यूएस कोर्ट में वह केस चल रहा है। … (व्यवधान) आज भी यूएस कोर्ट में केस चल रहा है और उस रिपोर्ट के कुछ जिस्ट का मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं। … (व्यवधान) पेज नंबर 17 पर है और आप यह समझिए कि कितनी करप्ट सरकार थी।… (व्यवधान) उसने सभी चीजों को बेचने का काम कैसे किया… (व्यवधान) वह रिपोर्ट यह कह रही है – 'Union Cabinet in November 2005 seeking its approval for realisation of GSAT-6 S Band satellite services at an estimated cost of Rs. 269 crore under the INSAT programme.' Secretary, DoS, Department of Space… (*Interruptions*) जिसके मंत्री स्वयं प्रधान मंत्री होते हैं।… (व्यवधान) यह इम्पोर्टेंट है और पूरे देश को यह जानने का अधिकार है।… (व्यवधान) वह यह कह रहा है – concealed and misrepresented the following facts from/to the Union Cabinet while seeking financial sanction to incur expenditure from the INSAT budget. … (*Interruptions*) आपको अधिकार ही नहीं था। … (व्यवधान) सौ करोड़ रुपये से ऊपर का अप्रूवल यदि आपको केबिनेट से चाहिए तो श्री मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ने सैटेलाइट का, स्पेस मिशन का, वैज्ञानिक का, साइंटिस्ट का, सभी का कबाड़ा कर दिया। … (व्यवधान) उससे यह इम्पोर्टेंट यह है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार यानी हमारी सरकार जो करके गयी थी कि Antrix had already entered into transponder lease. … (*Interruptions*) सर, उसको भी इन्होंने कंसील किया। … (व्यवधान) आप और कितनी चोरी करोगे? … (व्यवधान) 2जी कर लिया, सीडब्ल्यूजी कर लिया, इंडस का वॉटर बेच दिया।… (व्यवधान) हमारा 80 परसेंट पानी नेहरू जी ने बिना किसी समझौते के पार कर दिया।… (व्यवधान) जब पार्लियामेंट में जब डिसक्शन हुआ और माननीय प्रधान मंत्री जी ने बहुत बार कहा है… (व्यवधान) पार्टी के लिए कह रहे हैं… (व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है।… (व्यवधान) लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट है कि सिंधु नदी में और जब देश बेचने की बात आयी तो उस समय उन्होंने कहा कि मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता हूं… (व्यवधान)

दूसरी बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही कि मुझे अपने राजा ब्रिटेन के क्राउन प्रिंस को रिसीव करने जाना है... (व्यवधान) इसलिए मेरे पास लोक सभा के लिए समय नहीं है।... (व्यवधान) क्या आप इस तरह की बातें करोगे? ... (व्यवधान) उस रिपोर्ट का पेज नंबर 24 मैं पढ़ना चाहता हूं, जो और भी अलार्मिंग है।... (व्यवधान) मैं सीएजी की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं।... (व्यवधान) पेज नंबर 24 यह कहता है... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी): निशिकान्त जी, आप बैठ जाइए, आपको बाद में बोलने के लिए समय दिया जाएगा।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू पर चर्चा चल रही है। I am requesting you to kindly go back and take your seats.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I am requesting you. Please go back to your seats.

... (*Interruptions*).

HON. CHAIRPERSON: We will continue with the discussions; I will listen to you.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You are not giving me any opportunity to listen to you. I want to listen to you, but you are not giving me any opportunity to listen to you.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I want to listen to you. Please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1409 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोलह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1600/MK/PS)
1600 बजे

लोक सभा सोलह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्री दिलीप शइकीया पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर-18, माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, यह एक महत्वपूर्ण बिल है।

… (व्यवधान)

1600 बजे

(इस समय श्री गुरजीत सिंह औजला, श्री नीरज मौर्य, सुश्री सयानी घोष और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please be seated.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please be seated.

… (*Interruptions*)

भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक

1601 बजे

शिक्षा मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> “कि भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी मित्रों से अपील करता हूं कि अभी आपकी अनुमति से हमें देश के एक महत्वपूर्ण विषय को आपके सामने रखने का अवसर दिया गया है। … (व्यवधान) पहली बार असम जैसे प्रांत में, जो हमारे पूर्वोत्तर का एक मुख्य केंद्र है, नार्थ-ईस्ट का नार्थ प्वाइंट गुवाहाटी है, गुवाहाटी में, सिलचर में सरकार की ओर से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की एक नई ब्रांच खोलने के लिए मैं इस पवित्र संसद की अनुमति लेने के लिए आया हूं। … (व्यवधान) मैं विपक्ष के सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशन को, जो नार्थ-ईस्ट के स्टूडेंट्स की बहुत दिनों से मांग थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने असम के समग्र विकास के लिए और नार्थ-ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए आईआईएम बनाने का दायित्व लिया है। … (व्यवधान)

असम के मुख्य मंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा जी ने निरंतर प्रधानमंत्री जी के सामने और भारत सरकार के सामने इस प्रसंग को रखा है। … (व्यवधान) आईआईएम बी-स्कूल में आज हमारे देश की ही नहीं, विश्व की एक बड़ी ब्रांड बन चुकी है। … (व्यवधान) देश में अभी तक 21 आईआईएम्स काम कर रहे हैं। इस बार की गुवाहाटी आईआईएम में भारत ने टोटल साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये के आर्थिक अनुदान की व्यवस्था की है। असम सरकार ने उसके लिए सभी प्रकार की, लैंड सहित अन्य सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी ली है। … (व्यवधान) इस बार आईआईएम की प्रतिष्ठा बढ़ी है। … (व्यवधान)

सभापति महोदय, आईआईएम की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ी है कि विदेश में भी आईआईएम खुले उस प्रकार की भी मांग हो रही है। यूएई गवर्नमेंट आईआईएम, अहमदाबाद को अपने ही खर्चे से अपने यहां खुलवाना चाहती है। अगले महीने से आईआईएम, दुबई कैंपस खुलने वाला है। … (व्यवधान) इससे आईआईएम की मर्यादा बढ़ रही है।… (व्यवधान)

आज आईआईएम नई ऊँचाई छू रहा है। आज हम संसद में, इसका जो स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने असम के लिए पोषित किया था, उसी के अंतर्गत हम इस प्रकार की एक एंबिशियस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की अनुमति लेकर आए हैं। … (व्यवधान)

(1605/ALK/SNL)

मैं निवेदन करूंगा कि सारे सदस्य उसमें चर्चा करें, पार्टिसिपेट करें और इस बिल को, इस प्रस्ताव को मंजूरी दें।… (व्यवधान) असम की बहुत दिनों की अपेक्षा है, विद्यार्थियों की अपेक्षा है कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंस्टीट्यूशन खुले। … (व्यवधान) यही हमारा आपके माध्यम से इस सदन से अनुरोध है।

(इति)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : माननीय सदस्यगण, नार्थ ईस्ट के संबंध में और असम के संदर्भ में भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अगर आप नार्थ ईस्ट में डेवलपमेंट देखना चाहते हो, अगर आप नार्थ ईस्ट के लिए सोचते हो।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय प्रधान मंत्री जी का नार्थ ईस्ट के प्रति जो योगदान है, यह एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। आईआईएम पहले शिलांग में था। असम में पहली बार इतना बड़ा एक संस्थान आज प्रधान मंत्री जी नेतृत्व में और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में खुलने जा रहा है। कृपया आप समर्थन कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : असम में आईआईएम का कांग्रेस सहित, सभी विपक्षी दल इसको सपोर्ट कीजिए। प्लीज आप सभी लोग इसको सपोर्ट कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपके मनोबल से लगता है कि आप इसका सपोर्ट कर रहे हैं। मैं विधेयक को पारित करने के लिए आगे बढ़ता हूं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह ठीक नहीं है। असम में आईआईएम बन रहा है, आप लोग नो बोल रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह ठीक नहीं है। असम में आईआईएम बन रहा है, आप लोग यस बोलिए, नो मत बोलिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : असम के काफी सांसद यहां हैं। असम के सांसद भी यस बोलिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

THE MINISTER OF EDUCATION (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): Hon. Chairperson, Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप सब बैठिए और सदन को चलने दीजिए। आप आज भी सदन चलने नहीं दे रहे हैं। आपका यह एटिट्यूड ठीक नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 20 अगस्त, 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1608 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 20 अगस्त 2025/ 29 श्रावण 1947 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।